केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 248 सोमवार 7 अप्रैल 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

श्रद्धालुओं ने किया हवन, सरयू में लगाई डुबकी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। चैत्र रामवमी पर रविवार को श्रद्धालुओं ने हवन पूजन कर नवरात्र का व्रत पूर्ण किया। रामनवमी पर मंदिरों में पूजन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार रही। लोग मंदिरों में पूजन कर भगवान श्रीराम के प्रकटोत्सव दिवस पर परिवार के सुख, समृद्ध की कामना किया। टांडा के सरयू तट पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजन–अर्चन किया। चैत्र रामवनी पर रविवार को शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंदिरों से लेकर घरों तक में लोगों ने हवन पूजन कर कन्या भोज कर मां दुर्गा और भगवान प्रभु श्रीराम से परिवार के सुख, शांति, समृद्धि और यश की कामना किया। दुबौलिया के शेरवाघाट और कलवारी स्थित टांडा घाट पर सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने रामनवमी को स्नान कर नदी के किनारे पूजन अर्चन किया। शहर के आवास विकास स्थित समय माता मंदिर, रौता चौराहा स्थित, दुर्गा मंदिर, शनि मंदिर, कंपनीबाग पर शिव मंदिर, गांधीनगर हनुमानगढ़ी, श्रीराम जानकी मंदिर, रोडवेज स्थित गायत्री मंदिर, रेलवे स्टेशन स्थित काली मंदिर में हवन पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी भीड लगी रही। लोग मंदिरों में मां दुर्गा की आराधना के साथ ही रामनवमी पर भगवान राम की पूजा किया। नवरात्र के अंतिम दिन घरों में कड़ाही चढ़ाया गया और कन्याओं को भोजन कराकर लोग प्रसाद ग्रहण किए।

धोखाधड़ी मामले में पति, पत्नी गिरफ्तार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। वाल्टरगंज पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे 25–25 हजार के दो इनामिया को दबोच लिया। इन पर गबन, धोखाधड़ी औ जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज है। इनके खिलाफ न्यायालय से एनबीडब्लू और कुर्की की कार्रवाई के लिए धारा 82 के तहत आदेश हो चुका था।

वाल्टरगंज पुलिस ने वर्ष 2024 में गबन, धोखाधड़ी और धमकी देने का अरविन्द कुमार व उनकी पत्नी सोनी निवासी तरैनी थाना गौर जनपद बस्ती के खिलाफ केस दर्ज किया था। वर्तमान में यह दोनों दक्षिणद्वारा गनेशपुर थाना वाल्टरगंज में रह रहे थे। इनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में न्यायालय से एनबीडब्लू और धारा 82 की कार्रवाई हुई थी। फरारी के चलते इनके घर पर डुग्गी–मुनादी भी कराई गई थी। मुखबिर की सूचना अरविन्द और सोनू को मूड़घाट–फुटहिया के बीच पकड़ा गया। इन दोनों के खिलाफ कोतवाली थाने में धोखधड़ी के दो मामले दर्ज हैं।

फ्लाईओवर की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती–अयोध्या फोरलेन पर बसा कप्तानगंज कस्बा अब नगर पंचायत का दर्जा पा चुका है। कस्बे में छोटी–बड़ी तकरीबन 800 दुकानें हैं। हादसों की बढ़ती संख्या के बाद कप्तानगंज चौराहे के ईद–गिर्द बसे लोग दशकों से फ्लाईओवर बनने की राह देख रहे हैं। जनप्रतिनिधि, विभागीय जिम्मेदार सड़क हादसों पर अफसोस जताने के साथ फ्लाईओवर की आवश्यकता को जरूरी बता रहे हैं। हालांकि इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास होता नजर नहीं आ रहा है। जान हथेली पर रखकर रोज इस चौराहे को हजारों बच्चों के साथ राहगीर पार करते हैं। नागरिकों ने मांग किया कि फ्लाई ओवर बनवाया जाय।

राम नवमी पर रामलला का सूर्य तिलक

लखनऊ (आभा)। नौमी तिथि मधु मास पुनीता.. के पावन पर्व पर रविवार को अखिल ब्रह्माण्ड नायक प्रभु श्रीराम के प्राकट्य का महापर्व मनाया जा रहा है। परम पिता के अवतरण के साक्षी बनने और उनकी झलक पाने को आतुर श्रद्धालु अयोध्या में हैं। उधर राम मंदिर से लेकर वैष्णव परम्परा के सभी मंदिरों में प्राकट्योत्सव का उल्लास है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार कन्या पूजन किया।

इस अलौकिक क्षण में भगवान के प्राकट्य की आरती हुई। राम मंदिर में महाआरती के साथ–साथ सूर्य किरणों से भगवान का अभिषेक किया। राम मंदिर में सूर्य तिलक की तैयारियों के लिए इसरो व सीबीआरआई के वैज्ञानिकों की टीम ने यहां डेरा डाल रखा था। मुख्य पर्व पर इस सूर्याभिषेक का सजीव प्रसारण दूरदर्शन व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किया गया जिसके द्वाया पूरी दुनिया में इसे देखा जा सका।

रामनवमी के मौके पर संभल में पहली बार शोभायात्रा निकली। ये शोभायात्रा विश्व हिंदू परिषद की ओर से निकाली गई। शोभायात्रा के दौरान विहिप कार्यकर्ताओं ने हाथों में तलवार और झंडे भी लहराए। शोभायात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। शहर की सड़कों पर निकाली गई शोभायात्रा में परंपरा, संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम भी दिखाई दिया। शोभायात्रा में युवकों के अलावा युवतियां और महिलाओं ने भी करतब दिखाया। शोभायात्रा में भगवान राम, हनुमान जी और अन्य देवी–देवताओं की झांकियां भी थीं, जो आकर्षण का केंद्र रहीं। पूरी शोभायात्रा के दौरान जयकारों से माहोल भक्तिमय हो गया। शोभायात्रा को लेकर विहिप नेता ने कहा, संभल का गौरवशाली अतीत अब लौट रहा है, यही वजह है कि रामनवमी पर संभल में भव्य शोभायात्रा निकाली गई है।

पीडीए जन चौपाल, जन संवाद कार्यक्रम में सामाजिक ताने–बाने को बचाने पर जोर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । रविवार को समाजवादी शिक्षक सभा द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर जिलाध्यक्ष डा. सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी की अध्यक्षता में बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र के पुराना डाकखाना मुहल्ले में पीडीए जन चौपाल और जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजमणि पाण्डेय ने कहा कि भाजपा की सरकार में सामाजिक ताने–बाने पर हमला हो रहा है। पर्व त्यौहार जिसे हिन्दू–मुस्लिम मिलकर मनाया करते थे अब उन त्यौहारों को सम्पन्न कराने में प्रशासन को पसीना छूटता है। यह स्थितियां खतरनाक हैं। हमें पीडीए के द्वारा अपनी गंगा तहजीब को बचाये रखना होगा। कहा कि

–नफरत नहीं, प्रेम, सौहार्द से आगे बढेगा देश– राजमणि पाण्डेय

स्वस्थ समाज के निर्माण में शिक्षकों को नये सन्दर्भो में अपनी विशेष भूमिका निभानी होगी।

अध्यक्षता करते हुये डा. सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी ने कहा कि सामाजिक सरोकार और सम्बन्धों की रक्षा, स्वस्थ वातावरण के सृजन का दायित्व भी सरकार का है। अब शिक्षकों को यह दायित्व निभाना होगा कि आपस का सौहार्द बिगडने न पाये। शिक्षा के साथ हमें सामाजिक सम्बन्धों के रक्षा का दायित्व निभाना होगा जिससे नई पीढी किसी धर्म विशेष से नफरत की जगह सौहार्द बनाये रखना सीखे। संचालन सन्तोष प्रजापति ने किया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजाराम यादव, विजय कुमार, मुकुल चन्द श्रीवास्तव, अरविन्द कुमार, रामचन्द्र निषाद, विकास निषाद, विशाल निषाद, अभिषेक, हरिओम, रणविजय, शैलेष, वीरेन्द्र यादव, संजय कुमार, रमेश चन्द्र गौतम, दुखहरन सिंह, दीपक चौधरी, मेधांश पटेल, अभिषेक श्रीवास्तव, विनय कुमार के साथ ही समाजवादी शिक्षक सभा के अनेक पदाधिकारी, सदस्य, शिक्षक उपस्थित रहे।

संजय जोशी को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये जाने की अटकलें तेज: जन्म दिन पर उमड़े लोग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। चैत्र राम नवमी को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय जोशी का जन्म दिन उत्साह और संकल्प के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने दिल्ली स्थित संजय जोशी के आवास पर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीष श्रीवास्तव ने फोन पर बताया कि इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सो से आये लोगों ने जिनमें सभी जाति, सम्प्रदायों के लोग थे संजय जोशी के जन्म दिन पर अपनी खुशियों को साझा किया।

राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक डा. राजीव कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राजू सिंह चन्द्रबंशी ने बताया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरह वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रह चुके हैं। जोशी ने 2001 से लेकर 2005 तक बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री का

दायित्व संभाल चुके हैं। नागपुर में जन्मे और वहां कुछ साल तक प्रोफेसर रहे जोशी गुजरात में भी काम कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ 1988 से 1995 तक लगातार काम किया था। 1995 में पहली बार बीजेपी को गुजरात में सत्ता का स्वाद चखने को मिला इसका श्रेय संजय जोशी को भी जाता है। कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि उन्हें पार्टी में विशेष दायित्व सौंपा जा सकता है।

भाजपा और संघ परिवार के साथ ही संजय जोशी से जुडे कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री वाले 62 वर्षीय संजय जोशी भाजपा के 'मैकेनिज्म' को भी बखूबी समझते हैं। वे संघ के पूर्वकालिक प्रचारक हैं। 1989–90 में संजय जोशी को आरएसएस ने संगठन को मजबूत करने के लिए गुजरात भेजा था। उस समय उन्हें संगठन मंत्री का पद दिया गया था, जबकि नरेन्द्र मोदी संगठन मंत्री के रूप पहले से ही काम कर रहे थे। दोनों ने ही मिलकर पार्टी को मजबूत किया और 1995 में भाजपा ने पहली बार गुजरात में सरकार बनाई। ऐसे में उनकी योग्यता, क्षमता को देखते हुये राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा जा सकता है। इसकी अटकले में गर्म है।

संजय जोशी के जन्म दिन पर शुभेच्छा व्यक्त करने वालों में राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन के राष्ट्रीय संयोजक और संरक्षक डा. राजीव कुमार श्रीवास्तव , राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू सिंह चंद्रवंशी, राष्ट्रीय महामंत्री डा. निशीथ श्रीवास्तव , जयप्रकाश बंजारा, छत्रपाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा , मोहम्मद आजाद, दानिश अखवी, एडवोकेट सुरेन्द्र कुमार सिन्हा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर कोली , संगठन महामंत्री सनी शर्मा, उत्तर प्रदेश महामंत्री शक्ति सिंह, हरियाणा प्रदेश संगठन महामंत्री, लोकेश कुमार पाठक, प्रदेश महामंत्री राघव चौहान, मध्यप्रदेश अध्यक्ष निशार खान, महामंत्री अभिषेक कौशल, जम्मू कश्मीर प्रदेश उपाध्यक्ष सैय्यद मुजफ्फर सफी, महामंत्री लोन सब्बीर, सामाजिक कार्यकर्ता आसिफ अल्ली मीर के साथ ही बड़ी संख्या में अनेक प्रान्तो के लोग शामिल रहे।

भाजपा ने संकल्पों के साथ मनाया 46वाँ स्थापना दिवस

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती, । भारतीय जनता पार्टी का 46वाँ स्थापना दिवस रविवार को जिले के सभी बूथों पर मनाया गया, संगठन के कार्यकर्ताओ ने अपने घर पर झन्डा लगाते हुए सेल्फी सोशल मीडिया पर शेयर किया, इसके साथ ही भाजपा जिला कार्यालय, बस्ती में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्री विवेकानन्द मिश्र ने पार्टी ध्वज फहराया और भारत माता एवं महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर नमन किया।

स्थापना दिवस को पर्व की तरह मनाते हुए कार्यालय परिसर को फूलों और गुब्बारों से भव्य रूप से सजाया गया था। जिलाध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प दिलाया।

उन्होंने कहा, "आज हम सब कार्यकर्ता एक यात्री के रूप में इस

संगठनात्मक यात्रा में सहभागी हैं। हम सभी का यह संकल्प है कि अथक परिश्रम के साथ संगठन को और अधिक ताकतवर बनाते हुए आगे बढ़ाएँगे।"

जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और तब से लेकर आज तक पार्टी राष्ट्रसेवा के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए कहा, "लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय के संकल्पों को सिद्धि तक पहुँचाने वाले विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।"

उन्होंने आगे कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा देश विकास के सूरज से आलोकित हो रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत माता का गौरव सर्वोच्च शिखर पर पहुँच रहा है।"

इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से उपस्थित लोगों में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, गजेन्द्र सिंह, अनूप खरे, दिनेश प्रताप सिंह, भानु प्रकाश मिश्र, प्रत्युष सिंह, अमृत कुमार वर्मा, अंकुर वर्मा, अभिनव उपाध्याय, राकेश शर्मा, डॉ. वीरेन्द्र त्रिपाठी, अमित सिंह, गौरव अग्रवाल, धर्मेन्द्र जायसवाल, मनमोहन श्रीवास्तव, राघवेन्द्र सिंह, रमेश गुप्ता, प्रदीप निषाद, रामानंद नन्हे, मनोज सिंह, डब्लू तिवारी, अमित गुप्ता, दिव्यांशु दुबे, आदित्य शर्मा, सलमान खान, अनिल पाण्डेय, संजय चौरसिया, प्रेम प्रकाश चौधरी, जमुना पाण्डेय, मनीष चौबे सहित सैकड़ों पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शाहजहां गार्डन का नाम बदलने की तैयारी

आगरा (आभा)। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आगरा स्थित 'शाहजहां गार्डन' का नाम बदलकर अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर रखने की मांग की है। प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। दरअसल शाहजहां गार्डन आगरा जिले में ताजमहल और आगरा किले के बीच बना एक हरा–भरा उद्यान है।

बेबी रानी मौर्य ने बताया, 'हां, मैंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और शाहजहां गार्डन का नाम रानी अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर रखने का मेरा प्रस्ताव जल्द ही मूर्त रूप लेगा। अहिल्याबाई ने महिला सशक्तीकरण के लिए बहुत कुछ किया था।' नाम बदलने की मांग करने के पीछे की वजह के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'मैं आगरा की बेटी हूं और हमेशा महान अहिल्याबाई होल्कर से प्रेरणा लेती रही हूं, जिन्होंने महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया। यह मुद्दा मेरे दिल के बहुत करीब है। इसलिए मुझे लगता है कि इस उद्यान का नाम बदलने से लोगों, खासकर महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी।'

गरीब मुसलमानों के लिये तरक्की का बड़ा अवसर साबित होगा वक्फ कानून -जगदम्बिका पाल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। वक्फ संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सांसद जगदम्बिका पाल का बस्ती पहुंचने पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्णचन्द्र सिंह के संयोजन में बड़े बन के निकट फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। पार्टी नेताओं से बातचीत में श्री पाल ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक देश के गरीब मुसलमानों के लिये तरक्की का बड़ा अवसर साबित होगा।

सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार लोकसभा या राज्यसभा में किसी विधेयक पर इतनी लंबी चर्चा हुई। 11 बजे दिन से ढाई बजे रात तक लोकसभा में चर्चा हुई और 4 बजे तक राज्य सभा में चर्चा हुई. इतनी चर्चा के बाद देश के अलग–अलग राज्यों में बातचीत और सुझाव लिए गए। उन्होने लंबी चर्चा के बाद 428

–भाजपा नेता कृष्ण चन्द्र के साथ पार्टी नेताओं ने किया जगदम्बिका पाल का स्वागत

पेज की रिपोर्ट सौंपी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा स्पष्ट है कि वक्फ की जमीनों का लाभ पात्रों तक पहुंचे और उनके जीवन में बदलाव आये। इसका विरोध वहीं लोग कर रहे हैं जो मुसलमानों को बरगला कर वोट हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे।

भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्णचन्द्र सिंह ने सांसद जगदम्बिका पाल को क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में जानकारी दी। स्वागत करने वालों में अमन प्रताप सिंह, संजय सिंह, ध्रुवचन्द्र सिंह, प्रिन्स पाण्डेय, स्कन्द मिश्र, पंकज सिंह, सौरभ सिंह, जर्नादन सिंह, बागीश सिंह, रजनीश पाण्डेय, अमन चौधरी, सन्नी उपाध्याय, दीपांशु सिंह, राम बक्श सिंह, धर्मेन्द्र जायसवाल, अवधेश पाल के साथ ही अनेक भाजपा नेता, कार्यकर्ता शामिल रहे।

6 सूत्रीय मांगों को लेकर जेल भरो आन्दोलन 9 से

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। रविवार को भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष आर.के. आरटियन के साथ अनेक संगठनों के पदाधिकारियों ने वक्फ संशोधन विधेयक समेत 6 मुद्दों को लेकर प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों से वार्ता किया। चेतावनी दिया कि यदि केन्द्र और राज्य सरकारों ने बहुजन समाज से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण न कराया तो 9 अप्रैल से राष्ट्रीय नेतृत्व के आवाहन पर जेल भरो आन्दोलन शुरू किया जायेगा।

जेल भरो आन्दोलन के जिला संयोजक हृदय गौतम ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी, जातिगत जनगणना न कराये जाने, ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराये जाने, शासन सत्ता पर 3.5 प्रतिशत सम्पन्न वर्ग का कब्जा, बोधगया के महाबोधि महाविहार की

मुक्ति आदि सवालों को लेकर निरन्तर आन्दोलन किया जा रहा है किन्तु केन्द्र और राज्य सरकारें चुप है। ऐसे में भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के आवाहन पर 9 अप्रैल से राष्ट्रीय नेतृत्व के आवाहन पर जेल भरो आन्दोलन शुरू किया जायेगा। प्रेस वार्ता में पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुये डा. हकीउल्लाह और भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष आर.के. आरटियन ने कहा कि वक्फ संसोधन विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय के मूल सिद्धान्तों का उल्लघन करता है। नये कानून से वक्फ की सम्पत्तियों पर पूंजीपतियों और सरकारी भू–माफियाओं का अवैध कब्जा हो जायेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

प्रेस वार्ता में डा. रिफाकत अली, डा. एजाज, अजफल 'प्रिन्स, बुद्धेश राना, चन्द्रप्रकाश गौतम, बुद्ध प्रिय पासवान आदि शामिल रहे।

बैठक में गूंजा ई रिक्शा, टेम्पों चालकों के उत्पीड़न का मुद्दा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । रविवार को बस्ती आटो रिक्शा जन कल्याण समिति के जिला संरक्षक महेन्द्र श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष मो. हारून के संयोजन में ई रिक्शा, टेम्पों चालकों की बैठक राजकीय इण्टर कालेज के परिसर में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्याओं पर विचार विमर्श के साथ ही मांग किया गया कि आर.टी.ओ. द्वारा शिविर लगाकर ई रिक्शा, टेम्पों चालकों के कागजातों को नियमानुसार दुरूस्त कराया जाय। उनका अकारण उत्पीड़न, सीज कर देने की मनमानी कार्रवाई बंद कराया जाय।

बैठक को सम्बोधित करते हुये जिला संरक्षक महेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि ई रिक्शा चालकों से आर्थिक धन उगाही, अनावश्यक मुकदमा दर्ज कर उत्पीड़न करने, धमकी, वाहनों को सीज किये जाने के मामले में समिति द्वारा निरन्तर संघर्ष किया जा रहा है। यदि आर.टी.ओ. विभाग द्वारा शिविर लगाकर समस्याओं का समाधान न कराया

–शिविर लगाकर समस्याओं का निस्तारण कराये आरटीओ विभाग– महेन्द्र श्रीवास्तव

गया तो टेम्पो चालक चुप नहीं बैठेंगे। उनका अकारण उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

समिति के जिलाध्यक्ष मो. हारून, उपाध्यक्ष सैय्यद इम्तियाज ने कहा कि टेम्पो चालकों को कागजात दुरूस्त करने के लिये 15 दिन का समय दिया जाय। चेतावनी दिया कि समस्याओं का समाधान न हुआ तो टेम्पो चालक आन्दोलन को बाध्य होंगे। बैठक में अकबर अली, रामशंकर पाल, गोपालजी गुप्ता, कृष्णचन्द्र, मो. मोईन, दुर्गा प्रसाद सिंह, सोनू कुमार, चन्द्रभान, रामपूजन, मो. रसीद, प्रदीप कुमार, शिव पूजन, वारिस अली, मो. जावेद, नीरज तिवारी, सन्तोष कुमार, गुलाम वारिस के साथ ही अनेक ई– रिक्शा, टेम्पो चालक और समिति के पदाधिकारी शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 7 अप्रैल 2025 सोमवार

सम्पादकीय

बुलडोजर राजनीति

तापमान बढने के साथ राजनीतिक भारत में भी गर्मी बढ़ रही है और इसका कारण अभूतपूर्व बुलडोजर राजनीति है। इस भारी भरकम मशीन ने गौरव प्राप्त कर लिया है क्योंकि भाजपा ने बुलडोजर की शक्ति को न केवल एक निर्जीव मशीन की शक्ति के रूप में, अपितु एक राष्ट्रवादी राजनीति के विचार के रूप में प्रस्तुत किया है और यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह एक सुदृढ़, निर्णायक, अच्छे और प्रभावी शासन का अंग है और इस तरह उसने कानून के शासन को कानून द्वारा शासन में बदल दिया है। इस भारी भरकम बुलडोजर को राजनीतिक चर्चा में लाने का श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बनाम बुलडोजर बाबा को जाता है और वर्ष 2017 से वहां सांप्रदायिक दंगाइयों और अपराधियों के विरुद्ध इसका उपयोग किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदायों के घरों को तोडने में इसकी सफलता के चलते अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इसका समर्थन होने लगा है।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर को क्रमशरू बुलडोजर मामा और बुलडोजर ताऊ के रूप में जाना जाता है। उसके बाद दिल्ली, असम, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और पंजाब ने भी राज्य प्रतिकार के रूप में बुलडोजर मॉडल को अपना लिया है। इसका कारण क्या है? मुंबई और नागपुर में सांप्रदायिक झड़पों के बाद मुस्लिमों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को तोड़ा गया। पटियाला, लुधियाना, मोहाली में तस्कर मादक द्रव्यों को बेचकर घर बना रहे हैं। यही नहीं, विपक्ष शासित राज्यों में भी ध्रुवीकरण बढ़ गया है। कांग्रेस शासित हिमाचल के शिमला के संजोली में एक मस्जिद को गिराया गया और इसी तरह कर्नाटक के हुबली में दंगाइयों के घरों को तोड़ा गया।

वर्ष 2022–23 में बुलडोजर द्वारा 1,53,820 और वर्ष 2024 में 7,407 घर गिराए गए और इनमें सबसे अधिक संख्या उतर प्रदेश में है। उसके बाद दिल्ली, गुजरात और असम का स्थान आता है। गिराए गए घरों में 37 प्रतिशत घर मुसलमानों के हैं या मुस्लिम क्षेत्रों के हैं। इस बुलडोजर राजनीति ने एक बड़ा विवाद भी पैदा किया। विपक्ष इसे संविधान का उपहास बता रहा है और कह रहा है वर्ष 2014 से सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को निशाने पर लेने के लिए यह घृणा की राजनीति का न्यायेत्तर औजार है। निरंकुश कानूनों के अंतर्गत सुनियोजित दमन किया जा रहा है। यहां पर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का न केवल दमन किया जा रहा है, अपितु ऐसा करने के बाद उत्साह का वातावरण भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं कि देश की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, बुलडोजर बनेगा हथौड़ा।

प्रश्न उठता है कि क्या यह राजनीतिक बाहुबल और दादागिरी का प्रदर्शन है या यह कानूनी है और दंगाइयों के विरुद्ध एक प्रतिरोधक है। हमारी लोकतांत्रिक जागरूकता इतनी कमजोर बन गई है कि ऐसे उदाहरण मानदंड और सिद्धांत बनते जा रहे हैं और स्थापित कानूनी सिद्धांतों का इस भारी भरकम मशीन द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है और यह एक राजनीतिक औजार बन रहा है जिसका उपयोग एक मजबूत नेता की छवि बनाने के लिए भी किया जा रहा है और इससे सामाजिक मतभेद भी बढ़ रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने एक उल्लेखनीय निर्णय देकर बुलडोजर कार्रवाई पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। न्यायालय ने कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया का उपयोग किए बिना कथित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के आधार पर किसी व्यक्ति की संपत्ति को गिराना असंवैधानिक है और यह नैसघ्गक न्याय के सिद्धान्तों तथा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को 15 दिन का नोटिस देना होगा और उसकी बात सुननी होगी। किंतु विभिन्न राज्यों की सरकारें न्यायालय के निर्णय को नजरअंदाज कर रही हैं। इससे न्यायिक व्यवस्था के बारे में गंभीर चिंता पैदा होती है। इससे भी अधिक ङ्क्षचता की बात यह है कि कार्यपालिका न्यायालय के निर्णयों का पालन करने में विफल रही है। इससे न केवल कानून का शासन कमजोर हो रहा है अपितु न्यायालय की अवमानना के लिए एक खतरनाक पूर्वोदाहरण स्थापित हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि न्याय के इस स्वरूप में न तो उचित प्रक्रिया के लिए सम्मान है और न ही समय। इस संस्थागत कदम से न केवल कानून के शासन को खतरा पैदा हो रहा है अपितु इसके अंतर्गत दमनकारी नीतियों को भी अपनाया जा रहा है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। इससे प्रश्न उठता है कि यदि राज्य बुलडोजर न्याय जारी रखते हैं तो उच्तचम न्यायालय के निर्णय से उन लोगों को कितनी राहत मिलेगी जिनकी संपत्ति गिराई गई है क्योंकि यह कानूनी या प्रशासनिक चिंताओं का निराकरण करने की बजाय सामूहिक दंड देने का औजार बन गया है। निःसंदेह दंगाइयों को दंड अवश्य मिलना चाहिए। लोग भी अपनी सोच बदलें और यह समझें कि मौलिक अधिकारों के साथ–साथ राष्ट्र के प्रति हमारे मौलिक कर्त्तव्य भी हैं। राष्ट्र को स्ट्रीट पावर तथा कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के बीच एक संतुलन बनाना होगा जो एक शांतिपूर्ण स्वतंत्र भारत की दिशा में पहला कदम होगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत डेवाडीहा वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(राम लगन) ग्राम प्रधान — **(कुमार सत्यम सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत निरंजनपुर वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(सुशीला) ग्राम प्रधान — **(कुमार सत्यम सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत रखौना वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 13–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 14–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(श्याम सुन्दर) ग्राम प्रधान — **(कुमार सत्यम सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत अक्सड़ा वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 18–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 19–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(हैदर अली) ग्राम प्रधान — **(कुमार सत्यम सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत खड़ौआ जाट वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 17–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 18–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(धर्मेंद्र कुमार) ग्राम प्रधान — **(कुमार सत्यम सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत पिपरौला वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 16–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 17–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(दुर्गावती) ग्राम प्रधान — **(कुमार सत्यम सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत रोझिया वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 13–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 14–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(राजमनी) ग्राम प्रधान **(रवि प्रकाश पाण्डेय)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत गोविंदापुर कलवारी वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 16–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 17–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अरविंद कुमार) ग्राम प्रधान **(राजन चौधरी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत सेमरा उर्फ गलवा वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 07–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 08–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अनिल कुमार) ग्राम प्रधान **(रवि प्रकाश पाण्डेय)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत भोयर वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(संजय कुमार) ग्राम प्रधान **(राजन चौधरी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत केंवचा वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 19–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 20–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(पूनम) ग्राम प्रधान **(कुमार सत्यम सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत हथिया द्वितीय वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 08–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 09–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समसिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अकरम खां) ग्राम प्रधान **(रवि प्रकाश पाण्डेय)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कीर्तन गाकर बाइक से लौट रहे शख्स की गोली मारकर हत्या

संवाददाता–देवरिया। कीर्तन गाकर बाइक से वापस घर लौट रहे शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया इस बारे में पुलिस या घरवाले फिलहाल कुछ नहीं बता पा रहे। मारे गए शख्स की पत्नी की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। घटनास्थ्थल के रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। शनिवार की रात हुई इस घटना की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर जांच–पड़ताल की है। घटना जिले के सुरौली थाना क्षेत्र के धमउर परशुराम गांव के पास की है। घटना की सूचना देवरिया शहर में रविवार की सुबह फैली। अब तक मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात कीर्तन में शामिल होने गए शख्स की बाइक पर सवार होकर घर वापस लौटते समय अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना की सूचना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। उध ार, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। मारे गए शख्स का नाम रामसूरत चौहान था। वह देवरिया के सुरौली थाना क्षेत्र के सुकई परसिया गांव के रहने वाले थे। 50 वर्षीय राममूरत चौहान कीर्तन में गाते थे। वह देवरिया के अगस्तपार में कीर्तन गाने गए थे। शनिवार की रात वह बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इस बीच रात को साढ़े ग्यारह बजे उनकी धमउर परशुराम के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की और शव को कब्जे में ले लिया। देर रात पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना के पर्दाफाश को एसओजी, सर्विलांस समेत कई टीम लगाई गई हैं। कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों की भी पुलिस जांच कर रही है और सीसी फुटेज भी खंगाल रही है। इस मामले में पुलिस ने पत्नी मधुरानी देवी की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

मंदिरों में शंखनाद और भजन–कीर्तन के बीच मनाया गया प्रभु श्रीराम का जन्मोत्सव

संवाददाता–महराजगंज। सिसवा में रामनवमी का पर्व बड़ी ध ूमधाम से मनाया गया। नगर और ग्रामीण क्षेत्र के सभी मंदिरों में श्रीराम जन्मोत्सव की गूंज सुनाई दी। दोपहर 12 बजे मंदिरों में शंखनाद, नगाड़े और जय श्रीराम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रीरामजानकी मंदिर में 24 घंटे का अखंड भजन–कीर्तन चला। महिलाओं ने सोहर और मंगल गीत गाकर माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। पुजारी विजय शर्मा ने भगवान की अलौकिक झांकी सजाई। भजन गायकों ने भक्तिपूर्ण प्रस्तुतियां दीं। श्रद्धालुओं ने पूजा–अर्चना के साथ छप्पन भोग का प्रसाद चढ़ाया।

बड़हरा महंत स्थित प्राचीन जगन्नाथ मठ में भी प्राकट्य महोत्सव मनाया गया। मठाधीश महंत संकर्षण रामानुज दास और मुख्य पुजारी दुर्गेश मिश्रा ने पूजा–पाठ किया। महाआरती के बाद भगवान जगन्नाथ को छप्पन भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। चित्रगुप्त नगर वार्ड के प्राचीन ठाकुरद्वारा में भी जन्मोत्सव ध ूमधाम से मनाया गया। पुजारी संजय मालवीय ने पूजा–पाठ और आरती की। कार्यक्रम के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

कार्यालय ग्राम पंचायत–मझवन खुर्द वि0ख0 - बांसी, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **मझवन खुर्द,** विकास खण्ड बर्डपुर, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण–पोषण, हेतू भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2025–26 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 17–04–2025 को अपरान्ह 12.30 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **मझवन खुर्द,** के निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। और उसी दिन दिनांक 17.04.2025 पूर्वाहन 01:30 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000– रुपये होगी।

नियम व शर्ते

1–जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।

2–आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3–सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।

4– जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।

5– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।

6– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

7– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

8– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।

9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10– निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **मझवन खुर्द,** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय महदेवा लाला से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान–श्रीमती नीता
ग्राम पंचायत–मझवन खुर्द
विकास खण्ड–बांसी
जनपद –सिद्धार्थनगर

सचिव–अनुराग पाण्डेय
ग्राम पंचायत–मझवन खुर्द
विकास खण्ड–बांसी
जनपद –सिद्धार्थनगर

कार्यालय ग्राम पंचायत कलवारी मुस्तहकम वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(दिनेश चंद) ग्राम प्रधान **(राजन चौधरी)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत करहली बुजुर्ग वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 16–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 17–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(मंजू) ग्राम प्रधान **(दयानंद वर्मा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत कलवारी एहतमाली वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 10–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 11–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अनिल कुमार) ग्राम प्रधान **(राजीव श्रीवास्तव)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत सिसवारी रघुवीर सिंह वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(राम अजोर चौधरी) ग्राम प्रधान **(दयानंद वर्मा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत धोबहट वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 13–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 14–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(कुसुम कला) ग्राम प्रधान **(राजीव श्रीवास्तव)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत कन्हौली वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 2.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। सामाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2. 24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(सौरभ कुमार) ग्राम प्रधान **(दयानंद वर्मा)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /04.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

मातृ शक्ति के प्रति आदर भाव रखना सबका दायित्व –सीएम योगी

संवाददाता–गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में रविवार को कन्या पूजन के बाद प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्र की नवमी तिथि एवं श्रीरामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज वासंतिक नवरात्रि की नवमी तिथि है। आज सभी सनातन धर्मावलंबियों द्वारा कन्या पूजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मातृ शक्ति के प्रति आदर का पवित्र भाव रखना सबका दायित्व है। यूपी सरकार ने भी मातृ शक्ति के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ी अनेक योजनाएं चलाई हैं। मातृ शक्ति को सम्मान देने, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना जैसी योजनाएं शुरू की हैं। विधायिका से लेकर हर क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधि ानियम लागू किया है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से अपील की है कि वे बेटी–बेटा या महिला–पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर बेटियों के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय को जगह न दें। हम सभी यह मिलकर सुनिश्चित करें कि कोई भी बेटी, बहन, महिला अन्याय या शोषण का शिकार न होने पाए। यदि हम ऐसा करेंगे तभी एक सशक्त एवं विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज चौत्र नवरात्र की नवमी तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव का भी दिन है। सभी देवालयों में अखंड रामायण पाठ ,भजन कीर्तन हो रहे हैं। सभी सनातन धर्मावलंबी पूर्ण मनोयोग से भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। अयोध्या में लाखों श्रद्धालु रामलला के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आज 12 बजे भगवान सूर्य भी रामलला का सूर्यतिलक करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि लगभग 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का पुनः प्रकटीकरण हुआ है। यह सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत पवित्र दिन होने के साथ ही दुनिया की दबी कुचली एवं शोषित मानवता के लिए एक नई प्रेरणा व प्रकाश का दिन है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का जीवन हम सबको मर्यादित आचरण करने के साथ ही सम या विषम परिस्थित में धैर्य न खोकर चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा देता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यो तथा सार्वजनिक तथा राष्ट्रीय रिश्तों का निर्वहन कैसे हो, इसकी प्रेरणा हमें भगवान श्रीराम का सम्पूर्ण जीवन चरित्र देता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामनवमी की पावन तिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वर में देश के पहले ऑटो ब्रिज (पंबन ब्रिज) का भी उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि रामेश्वरम भारत के पवित्रम धामों में से है। यह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हजारों वर्ष पहले भगवान श्रीराम ने उत्तर और ।दक्षिण की सीमाओं को एकसाथ जोड़कर जीवंतता प्रदान की थी। यह हमें एक नई प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि रामेश्वरम में यह नया ब्रिज प्रध ाानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास एवं विरासत के विजन को दर्शाता है। इससे जुड़ने का आज हम सबको एक अवसर प्राप्त हो रहा है और इसके लिए हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं।

श्रीराम के नारे के साथ इकबाल अंसारी ने श्रद्धालुओं पर बरसाए फूल

संवाददाता–अयोध्या। बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे अयोध्या के बहुचर्चित मुस्लिम नेता इकबाल अंसारी ने श्रीराम जन्मोत्सव के अवसर पर रामनवमी मेले में दर्शन करने आए लाखों श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की है। अपने पिता स्वर्गीय हाशिम अंसारी के पदचिह्नों पर चलते हुए इकबाल अंसारी भी अयोध्या में हिंदू–मुस्लिम एकता और भाईचारे के चिराग को रोशन किए हुए हैं। रविवार को श्री रामनवमी के अवसर पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं पर जय श्रीराम के उद्घोष के साथ इकबाल अंसारी ने पुष्प वर्षा की और श्रद्धालुओं का स्वागत किया। अपने इस खानदानी परंपरा को निभाते हुए अंसारी काफी प्रफुल्लित नजर आए। मीडिया से बातचीत के दौरान बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि यह रामनगरी है। यहां भगवान राम ने जन्म लिया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अयोध्या के वासी हैं। आज हमें अयोध्या आने वाले अपने मेहमान श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए दिल से खुशी हो रही है। अयोध्या में जो भी श्रद्धालु हनुमान जी, भगवान राम और मठ–मंदिरों के दर्शन करने आ रहे हैं हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। इकबाल अंसारी ने अपने आवास के पास श्रीराम जन्मभूमि परिसर के गेट के निकट रामपथ पर चल रही श्रद्धालुओं की भीड़ पर पुष्प वर्षा करते हुए जय श्रीराम का नारा भी लगाया। उनके साथ अयोध्या के गणमान्य नागरिक भी पुष्प वर्षा में शामिल रहे। इकबाल अंसारी ने कहा कि हम अयोध्या वासी हैं और हम हमेशा अयोध्या आने वाले हर श्रद्धालुओं का स्वागत करते रहे हैं। रामनवमी पर्व के अवसर पर जो श्रद्धालु आए हैं हमने उन पर फूलों की वर्षा की और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या देवताओं की नगरी है। अयोध्या शुद्ध है। यहां देवी देवताओं का वास है। अयोध्या में हिंदू मुस्लिम के बीच सौहार्द है अयोध्या में जो लोग आते हैं वह अच्छे भाव से आते हैं। सरयू स्नान करते हैं हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं और रामलला का दर्शन करते हैं। मठ मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं और श्रद्धा का भाव लेकर अपने घरों को जाते हैं।

इकबाल अंसारी ने कहा हमारा साथ साधु–संतों के साथ हमेशा रहा है। यह हमारी खानदानी परंपरा है। अयोध्या की जो गंगा–जमुनी तहजीब है हम उसी के अनुसार रहते हैं। हम लोग सभी साथ में रहते हैं।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे बेटे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में आयांश चौधरी है। आधार कार्ड में त्रुटि बस हर्ष दर्ज हो गया। मेरे बेटे को आयांश चौधरी के नाम से जाना जाय।

(राम लौट चौधरी)
ग्राम– पायकपुर,
पोस्ट– डिंगरापुर,
थाना– दुबौलिया,
जनपद– बस्ती।

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेल**bhartiyabasti@yahoo.com**
bhartiyabasti@gmail.com